भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 4265

18 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

LekV flVh fe'ku dk vkrxr ifj;kstukvk dk iijk djuk

4265. श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः

क्या vkokl u vkj 'kgjh dk;Z मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत से अब तक सिर्फ 1.4 प्रतिशत वित्तीय निवेश के साथ चिन्हित की गई कुल परियोजनाओं में से केवल 5.2 प्रतिशत ही पूरी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक स्वीकृत और पूरी हो चुकी परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है, जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के चरण में हो और अन्य जो पूरा होने के चरण में हैं;

(घ) क्या इस मिशन के अंतर्गत धनराशि के आवंटन और आवंटित की गई धनराशि के समयबद्ध उपयोग संबंधी कोई शर्त है; और

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): जी नहीं । 100 चयनित स्मार्ट शहरों द्वारा अपने स्मार्ट शहर प्रस्तावों में 2,05,018 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से कुल 5,151 परियोजनाएं शामिल की गई हैं । स्मार्ट सिटीज़ मिशन विवरण और दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार का पांच वर्ष के लिए 48,000 करोड़ रू. (एससीपी मूल्य का 45% - जिसमें राज्य का शेयर शामिल है) की वित्तीय सहायता अर्थात् मिशन की अवधि के लिए औसतन 500 करोड़ रू. प्रति शहर देने का प्रस्ताव है । राज्य/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा समान आधार पर बराबर धनराशि उपलब्ध कराई जानी है । इनके अतिरिक्त, लगभग 42,028 करोड़ रू. (21%) अन्य मिशनों के साथ समाभिरूपता से, 41,022 करोड़ रू. (21%) सार्वजनिक निजी भागीदारी से, लगभग 9,843 करोड़ रू. (4.8%) ऋणों से, लगभग 2,644 करोड़ रू. (1.3%) अपने संसाधनों से और शेष अन्य स्रोतों से प्राप्त होने की संभावना है । जून, 2015 में स्मार्ट सिटीज़ मिशन (एससीएम) के आरंभ से 11 जुलाई, 2019 तक 2,05,018 करोड़ रू. की लागत वाली 5151

प्रस्तावित परियोजनाओं में से 1,34,994 करोड़ रू. (66%) की 3,645 परियोजनाओं के लिए निविदाएं प्रदान कर दी गई हैं, जिनमें से 90,176 करोड़ रू. (44%) मूल्य की 2,834 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं/कार्यान्वयनाधीन हैं । शेष परियोजनाएं डीपीआर स्तर पर हैं।

(घ) और (ड.): स्मार्ट सिटीज़ मिशन विवरण और दिशानिर्देशों के अनुसार, सिटी स्कोर कार्ड यथासमय प्रस्तुत करने, संतोषजनक वास्तविक और वित्तीय प्रगति, दिशानिर्देशों में दी गईं महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त करने इत्यादि जैसी कतिपय शर्तों को पूरा करने के पश्चात् शहरों को धनराशि की वार्षिक किस्त जारी की जाती है । परियोजनाओं को पूर्ण करने की समय-सीमा स्मार्ट शहरों के रूप में उनके चयन की तिथि से पांच वर्ष है । शहर स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन प्रयोजन के लिए निर्मित विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) द्वारा किया जाता है । विशेष प्रयोजन तंत्र, स्मार्ट शहर विकास परियोजनाओं को प्लान करते हैं, उनका आंकलन करते हैं, उन्हें अनुमोदित करते हैं, उनके लिए धनराशि जारी करते हैं, उन्हें कार्यान्वित करते हैं, उनका प्रबंधन व प्रचालन करते हैं, उन पर निगरानी रखते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं । मंत्रालय, शहरों के निष्पादन का आंकलन करने और उसमें सुधार के लिए उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर वीडियो कांफ्रेंसों, पुनरीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय दौरों, क्षेत्रीय कार्यशालाओं इत्यादि के माध्यम से राज्यों/स्मार्ट शहरों के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है । इसके अतिरिक्त शहरों को क्षेत्रीय कार्यशालाओं में भाग लेने वाले डोमेन विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के अतिरिक्त, इन वार्तालापों के दौरान सहभागियों से ज्ञान (पियर-टू-पियर लर्निंग) का भी लाभ प्राप्त होता है । राष्ट्रीय स्तर पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति द्वारा स्मार्ट सिटीज़ मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी की जा रही है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति की स्थापना की गई है । इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नामित विशेष प्रयोजन तंत्रों के निदेशक मंडल संबंधित शहरों में नियमित रूप से प्रगति की निगरानी कर रहे हैं ।